

अध्याय – 8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समीतियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उनके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या इन बोर्डों परिषदों, समीतियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण –

नगर निगम जयपुर में 18 स्थायी समीतियों के गठन का प्रावधान है। उन समीतियों का गठन निगम बोर्ड द्वारा किया जाता है, लेकिन अभी तक समीतियों का गठन नहीं हो पाया है। नगर निगम बोर्ड की मीटिंगें समय-समय पर आयोजित हो रही है तथा ये मीटिंगें जनता के लिए खुली हैं। ऐसी बैठकों की मीटिंग कार्यकारी विवरण निर्वाचित पार्षदों व सदस्यों के पास भेजा जाता है।

